

# राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

## खुली नीलामी-आवेदन फार्म

प्रति,

राज्यपाल के अपर सचिव,  
राज्यपाल का सचिवालय,  
राजभवन, भोपाल।

मैं (नाम)-----आवेदनकर्ता,  
राजभवन, भोपाल द्वारा दिनांक-----को विक्रय की जाने वाली वाहन क्रमांक  
-----के लिये अपना आवेदन फार्म प्रस्तुत  
करता/करती हूँ।

### विवरण इस प्रकार है:-

1. नाम : -----
2. पिता/पति का नाम : -----
3. स्थाई पता : -----  
फोन नम्बर : -----
4. अस्थायी पता : -----  
-----
5. पैनकार्ड नं. : -----
6. आधार कार्ड नं. : -----
6. धरोहर राशि : -----
- (क) बैंक ड्राफ्ट का नम्बर : -----दिनांक-----
- (ख) बैंक का नाम : -----

### **घोषणा**

मैंने इस आवेदन फार्म के साथ दर्शाये गये सम्पूर्ण नियम एवं शर्तों का विवेकपूर्ण अध्ययन कर लिया है, जो मुझे स्वीकार है।

बोलीदार के हस्ताक्षर

## खुली नीलामी के नियम एवं शर्तें

1. नीलाम किये जाने वाले वाहन का निरीक्षण कार्यालयीन समय में राजभवन गैरेज, भोपाल के परिसर में किया सकता है।
2. सभी कार्यवाही कार्य दिवसों के कार्यालयीन समय में होगी।
3. आवेदन फार्म विज्ञापन प्रकाशन की दिनांक से दिनांक 17.04.2018 को सायं 5:00 बजे तक प्रदाय वि जायेंगे तथा दिनांक 25.04.2018 सायं 5:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे।
4. आवेदनकर्ता को ही नीलामी स्थल पर प्रवेश दिया जायेगा तथा स्वयं को ही बोली लगाना होगी। आवेदक बो लगाने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत नहीं कर सकेंगे।
5. क्रेता को आवेदन फार्म के साथ धरोहर राशि रूपये 5,000/- (रूपये पांच हजार मात्र) का (केवल भारतीय स बैंक का) बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट जो Accounts Officer Rajbhavan Bhopal के पक्ष में भोपाल में देय हो, संल करना होगा।
6. बोली में भाग लेने के पूर्व वाहन का निरीक्षण भली-भांति कर लें। बोली लगाने के बाद वाहन की स्थिति संबंधी व आपत्ति मान्य नहीं होगी। वाहन जहां है, जैसी स्थिति में है के आधार पर विक्रय किया जा रहा है।
7. दिनांक 27.04.2018 को दोपहर 12:00 बजे राजभवन गैरेज के परिसर में नीलामी समिति के सदस्यों के समक्ष नीलामी की जावेगी।
8. बोलीदार को बोली की राशि 500/- (रूपये पांच सौ मात्र) के अंक से ही बढ़ाना होगी। इससे कम बढ़ाया अंक स्वीकार नहीं होगा।
9. नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को धरोहर राशि के अतिरिक्त उच्चतम बोली की आधी राशि बो समाप्त होने के बाद वाहन वार तुरन्त जमा करनी होगी अन्यथा धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। धरोहर रा का समायोजन वाहन उठाते समय शेष रही राशि में किया जावेगा।
10. वाहन विक्रय के संबंध में प्रमुख सचिव, राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन, भोपाल का निर्णय सर्वोपरि होगा।
11. प्रमुख सचिव, राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन, भोपाल को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि बिना बताये किसी व्यक्ति की बोली या समस्त बोलियां निरस्त कर सकते हैं।
12. बोली स्वीकृत या अस्वीकृत होने के संबंध में दिनांक 04.05.2018 या इसके पूर्व इस कार्यालय में आकर बोली स्वयं जानकारी लेंगे तथा बोली स्वीकृत किये जाने की स्थिति में 15 दिवस या इसके पूर्व वाहन की डिली आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे अन्यथा धरोहर एवं आधी जमा की गई राशि राजसात कर ली जावेगी।
13. नीलामी में प्रथम एवं द्वितीय उच्चतम बोलीकर्ता की धरोहर राशि की डी0डी0 रोके जावेंगे। प्रथम उच्चतम बोली की धरोहर राशि राजसात करने के उपरान्त द्वितीय अधिकतम बोलीकर्ता को ऑफर देने के पश्चात यदि निर्धा समय में पूर्ण राशि जमा कर वाहन नहीं उठाते है तो द्वितीय उच्चतम बोलीकर्ता की धरोहर राशि भी राजसात जावेगी।
14. बोली स्वीकृत होने के बाद वाहन के हस्तांतरण हेतु समस्त व्यय क्रेता को स्वयं के व्यय पर करना होगा। विम सिर्फ विक्रय पत्र जारी करेगा। नामान्तरण यथाशीघ्र 10 दिन के अन्दर कराना होगा।
15. आवेदन फार्म पर आवेदक स्वयं के हस्ताक्षर करें।
16. किस भी गलत ज्ञानकारी के लिये आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
17. किसी भी प्रकार के कानूनी विवादों का निदान भोपाल स्थित दीवानी न्यायालय में होगा। विवाद उत्पन्न होने स्थिति में भोपाल स्थित न्यायालय क्षेत्राधिकार होगा।
18. राजभवन गैरेज से वाहन की डिलेवरी लेने के पश्चात् गैरेज परिसर के बाहर यदि कोई घटना घटित होती है उसकी जिम्मेदारी क्रेता की होगी और कानूनी निर्णय के अंतर्गत समस्त स्वत्वों के भुगतान क्रेता को करने होंगे।
19. अन्य जानकारियां राजभवन, भोपाल से प्राप्त की जा सकती है।

(शैलेन्द्र कियावत)

राज्यपाल के अपर सचिव  
मध्यप्रदेश